न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0न0 57/2017(जी.सी.एम.एस. 2017/00308) पीठासीन अधिकारी:- डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र गोरधन (मृतक)

1/1. घनश्याम
1/2. शिखरचन्द
1/3. अमरचन्द
} पुत्रगण रामस्वरूप जाति वैश्य नि0 सहारई तहसील डीग हाल कस्बा डीग तहसील डीग

1/4. राधादेवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी धर्मचन्द जाति वैश्य नि0 कांमा तहसील कांमा

1/5. विरमादेवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी कैलाशचन्द जाति वैश्य नि0 कठूमर जिला अलवर

—सायलान

बनाम

1. दयाचन्द पुत्र गोरधन जाति वैश्य (मृतक)

1/1. अंगूरी पत्नी दयाचन्द जाति वैश्य नि0सहारई तहसील डीग

1/2. धनेश पुत्र दयाचन्द जाति वैश्य नि0 सहारई तहसील डीग

1/3. कुंजबिहारी पुत्र दयाचन्द जाति वैश्य नि0 सहारई तहसील डीग

1/4. नीलम पुत्री दयाचन्द पत्नी छीतरमल जाति वैश्य नि0 रानी सती नगर अजमेर रोड जयपुर

1/5. वीना पुत्री दयाचन्द पत्नी सुनील जाति वैश्य नि0हिण्डोनपुर सिटी

2. कपूरचन्द पुत्र गोरधन जाति वैश्य नि0 सहारई तहसील डीग हाल रणजीत नगर 98,ए भरतपुर
3. पूरनचन्द पुत्र गोरधन जाति वैश्य नि0 सहारई तहसील डीग हाल वीनारायन गेर्ट राधा कृष्ण मन्दिर के पास भरतपुर(मृतक)

3/1. वृषभान पुत्री पूरनचन्द पत्नी भगवान स्वरूप एडवोकेट जाति वैश्य कच्ची सडक मथुरा(उ.प्र.)

3/2. राजेन्द्र कुमार सिंघल पुत्र पूरनचन्द जाति वैश्य नि0 102 मोती डूंगरी राजीव गांधी पार्क के सामने अलवर(राज0)

3/3. डाक्टर जनकवाल सिंघल पुत्री पूरनचन्द पत्नी डा0 हुक्मचन्द जाति वैश्य नि0 912 ए.टी. एस. ग्रीन विपेज सेक्टर 93 ऐ सेक्टर 93 नोएडा (उ.प्र.)

3/4. डॉक्टर देवेन्द्र कुमार सिंघल पुत्र पूरनचन्द जाति वैश्य नि0,83/3,आवास विकास कॉलोनी 1 डीएम रोड बुलन्दशहर (उ.प्र.)

4. गोपाल चन्द पुत्र गोरधन जाति वैश्य(मृतक)

4/1. संजय कुमार पुत्र गोपालचन्द जाति वैश्य नि0 वीनारायन गेट राधा कृष्ण मन्दिर के पास भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

4/2. आलोक कुमार पुत्र गोपालचन्द जाति वैश्य नि0 वीनरायन गेट राधा कृष्ण मन्दिर के पास भरतपुर

4/3. मुस0 राजरानी पत्नी गोपालचन्द जाति वैश्य नि0 वीनरायन गेट राधा कृष्ण मन्दिर के पास भरतपुर

4/4. सुधीर कुमार गोपालचन्द जाति वैश्य नि0 वीनारायन गेट भरतपुर हाल ई–564 हनुमान नगर विस्तार सिरसी रोड जयपुर

5. तहसीलदार,डीग
6. बसन्ती पत्नी दुर्जन जाति जाट नि0 सहारई तहसील डीग
7. मान सिंह पुत्र जोरावर जाति जाट नि0 सहारई तहसील डीग
8. राजेश पत्नी हरकेश जाति जाट नि0 सहारई तहसील डीग

–गैर सायला

प्रार्थना पत्र अस्थाई निशेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांक: 17.05.2024

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 72/0.16, 339/0.12, 341/0.21, 343/0.35, 346/0.33, 347/0.08, 350/0.23, 351/0.59, 361/0.50, 362/0.45, 364/0.14, 374/0.26, 12/0.30 वाके ग्राम नगला भदई तहसील डीग में तथा आराजी खसरा नम्बरान 406/0.18, 408/0.24, 409/0.30, 419/0.25, 422/0.27, 428/0.28, 429/0.24, 466/0.19, 548/0.44, 405/0.18, वाके ग्राम सहारई तहसील डीग में स्थित है। सायल व गैर सायलान आपस में खास भाई है। भीकाराम की मृत्यु सम्बत 2012 के करीब हो गई है तथा भूपसिंह भी भीकाराम से पूर्व ही गुजर गये है। भीकाराम की मृत्यु के बाद विवादित आराजी व शमूल दीगर आराजी गोरधन पिता वादी व प्रति0 के नाम आई है। सायलान व गैर सायलान के पिता गोरधन की भी मृत्यु 1985–1986 के आस पास हो गई है। साविक आराजी खसरा नम्बरान 66/0–19, 325/0–10, 352/2–19, 358/0–15, 353/2–15, 387/1–2, 400/2–2, 401/0–13, 402/0–17, 404/1–4, 405/1–2, 412/2–5, 427/0–19, 428/0–14, 431/2–1, 437/0.16, 438/1–1, 439/0–11, 524/3–3, 527/1–3, 530/1–00, 531/1–1, 604/1–16, 1053/0–16, 1054/1–00, 1055/0–15, 1056/0–17, किता–32 रकबा 43 वीघा 8 विस्वा वाके ग्राम सहारई तहसील डीग में स्थित है जिनके बदले में हाल बन्दोवस्त में नवीन आराजी खसरा नम्बर 524/0.18, 525/0.20, 526/0.18, 600/0.06, 601/0.23, 1067/0.56, बनाये गये है तथा विवादित खसरा नम्बर 72, 339, 341, 343, 346, 347, 350, 351, 361, 362, 364, 374 व 12 को हाल हल्का नगला भदई तहसील डीग में शामिल कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

इससे पूर्व यह नम्बरान ग्राम सहाराई तहसील डीग में स्थित थे। गैर सायलान नम्बर 01 ने साविक आराजी खसरा नम्बर 605/1–17, 527/1–3, 531/1–1, 530/1–00, 1050/0–15,1053/0–16, 1054/1–00, 1055/0–15, 1057/0–17, वाके ग्राम सहाराई तहसील डीग को बेच दिया है। इसलिए उन साविक नम्बरान को तथा इससे बने नवीन नम्बरान को वादपत्र में शामिल नहीं किया गया है और इस प्रकार गैर सायल संख्या 01 ने अपने हिस्से की आराजी से ज्यादा आराजी से गैर सायलान नम्बर 1 का कोई सम्बन्ध किसी भी किस्म का नहीं है। आराजी मुत0 पक्षकारान की पैश्तैनी आराजी है। भीकाराम व भूप सिंह की मृत्यु के वाद आराजी मुत0 सायल व गैर सायलान नम्बर 01 लगायत 04 को विरासत से प्राप्त हुई है तथा सभी का संयुक्त कब्जा वाहैसियत खातेदार काश्तकार वाहिस्सा बरावर चला आ रहा था चूँकि गैर सायल संख्या 01 ने अपने हिस्से की आराजी से भी ज्यादा आराजी पूर्व में दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बरान आराजी खसरा नम्बरान 72/0.16, 339/0.12, 341/0.21, 343/0.35, 346/0.33, 347/0.08, 350/0.23, 351/0.59, 361/0.50, 362/0.45, 364/0.14, 374/0.26, 12/0.30 वाके ग्राम नगला भदई तहसील डीग में तथा आराजी खसरा नम्बरान 406/0.18, 408/0.24, 409/0.30, 419/0.25, 422/0.27, 428/0.28, 429/0.24, 466/0.19, 548/0.44, 405/0.18, वाके ग्राम सहाराई तहसील डीग में स्थित आराजी पर मजाहमत मदाखलत नहीं करने हेतु गैर सायलान को पावंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान संख्या 01/01 लगायत 1/5 के द्वारा अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वणित किया गया है कि आराजी मुत0 गैर सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की वाहिद रकबा है जिस पर वह वाहैसियत खातेदार काबिज रहकर आज तक बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे है इस वक्त भी मौके पर गैर सायलान का कब्जा है। इस समय भी मौके पर गैर सायलान द्वारा आराजी मुत0 में सरसों की फसल बोने के लिए जोत लगाई हुई है। गैर सायलान आराजी मुत0 के रिकार्ड खातेदार काश्तकार है और वही लगान अदा करते चले आ रहे है। आराजी मुत0 से सायलान अथवा गैर सायलान संख्या 02 लगायत 05 का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है ना ही उनका कोई कब्जा रहा है ना ही उनके हित व अधिकार आराजी मुत0 में निहित है। सायलान ने किशोर उर्फ किरोडी से विरासत में प्राप्त आराजी व असली जायदाद का विक्रय कर दिया है। इसलिए सायलान के विरूद्व प्रस्तुत दावे के लिए एस्टोपल का सिद्वांत आरिज होता है। इसलिए दावा सायलान काबिले खारिजी के है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील पक्षकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील पक्षकार की बहस पर मनन किया।

बहस के दौरान **सायलान के विद्वान वकील** द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र सायलान अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ता फैसला वाद पावंद किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः– सायलान का यह कथन रहा है कि सायलान व गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य है। वर्णित आराजी पुश्तैनी है। दौराने दावा गैर सायलान संख्या 1/2 व 1/3 धनेशचन्द व कुंजविहारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 548/0.44 वाके ग्राम सहारई तहसील डीग को गैर सायलान संख्या 08 राजेश को दिनांक 25.04.2016 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय करदी गई। उक्त बयनामा दौराने दावा गैर सायलान को जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर बिना कोई कब्जा काश्त के विक्रय किया गया। आराजी खसरा नम्बरान 72/0.16, 339/0.12, 341/0.21, 343/0.35, 346/0.33, 347/0.08, 350/0.23, 351/0.59, 361/0.50, 362/0.45, 364/0.14, 374/0.26, 12/0.30 वाके ग्राम नगला भदई तहसील डीग में तथा आराजी खसरा नम्बरान 406/0.18, 408/0.24, 409/0.30, 419/0.25, 422/0.27, 428/0.28, 429/0.24, 466/0.19, 548/0.44, 405/0.18, वाके ग्राम सहारई तहसील डीग में स्थित है के सम्बन्ध में **साविक जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल इत्यादि राजस्व रिकार्ड पेश किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रमाणित होना पाया जाता है।**

सुविधा का संतुलनः– सायलान का यह कथन रहा है कि सायलान व गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य है। वर्णित आराजी पुश्तैनी है। दौराने दावा गैर सायलान संख्या 1/2 व 1/3 धनेशचन्द व कुंजविहारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 548/0.44 वाके ग्राम सहारई तहसील डीग को गैर सायलान संख्या 08 राजेश को दिनांक 25.04.2016 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय करदी गई। उक्त बयनामा दौराने दावा गैर सायलान को जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर बिना कोई कब्जा काश्त के विक्रय किया गया। आराजी खसरा नम्बरान 72/0.16, 339/0.12, 341/0.21, 343/0.35, 346/0.33, 347/0.08, 350/0.23, 351/0.59, 361/0.50, 362/0.45, 364/0.14, 374/0.26, 12/0.30 वाके ग्राम नगला भदई तहसील डीग में तथा आराजी खसरा नम्बरान 406/0.18, 408/0.24, 409/0.30, 419/0.25, 422/0.27, 428/0.28, 429/0.24, 466/0.19, 548/0.44, 405/0.18, वाके ग्राम सहारई तहसील डीग में स्थित है के सम्बन्ध में **साविक जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल**

Ram

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी ★ नगला डीग (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इत्यादि राजस्व रिकार्ड पेश किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित होना पाया जाता है।

अपूर्णनीय क्षतिः– सायलान का यह कथन रहा है कि सायलान व गैर सायलान एक ही परिवार के सदस्य है। वर्णित आराजी पुश्तैनी है। दौराने दावा गैर सायलान संख्या 1/2 व 1/3 धनेशचन्द व कुंजविहारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 548/0.44 वाके ग्राम सहारई तहसील डीग को गैर सायलान संख्या 08 राजेश को दिनांक 25.04.2016 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा विक्रय करदी गई। उक्त बयनामा दौराने दावा गैर सायलान को जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर बिना कोई कब्जा काश्त के विक्रय किया गया। ऐसी स्थिति में यदि सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है तो गैर सायलान की अपेक्षा सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी। जोकि आराजी के खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में यह बिन्दु सायलान के पक्ष में प्रमाणित होना पाया जाता है।

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड,का अवलोकन व प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। ऐसी स्थिति में हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट,स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत 88,89 व 188 आर.टी.एक्ट के निर्णय/अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान 72/0.16, 339/0.12, 341/0.21, 343/0.35, 346/0.33, 347/0.08, 350/0.23, 351/0.59, 361/0.50, 362/0.45, 364/0.14, 374/0.26, 12/0.30 वाके ग्राम नगला भदई तहसील डीग में तथा आराजी खसरा नम्बरान 406/0.18, 408/0.24, 409/0.30, 419/0.25, 422/0.27, 428/0.28, 429/0.24, 466/0.19, 548/0.44, 405/0.18, वाके ग्राम सहारई तहसील डीग में स्थित है, पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner